उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.............सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 29/एन0बी0/एस0बी0/2025

विजय पाल सिंह, आयु 39 वर्ष, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, स्थाई निवासी ग्राम झड़गांव, पो0ऑ0 सांकर/मर्चूला, तहसील सल्ट, मौलेखाल, जिला ननीताल (उत्तराखण्ड)

..................याची

बनाम्

1. उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखंड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर।

.... विपक्षीगण

उपस्थिति : श्री नदीमुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2025

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"क. आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 18.01.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 13.11.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये

दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें,

ख याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें,

ग. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,

घ. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2021 में दि0 05.07.2021 को याची कांस्टेबिल की कोविड–19 के तहत बोर्डर चेकिंग हेतु लोहियापुल पर ड्यूटी लगायी गयी। वहॉ पर दो एस0पी0ओ0 तथा दो पी0आर0डी0 के जवान भी थे याची व अन्य अधिकारियों ने चैकिंग के दौरान करीब आठ–दस लोगों को बिना रजिस्टेशन व बिना आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश करने से रोका कि तभी एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि इन सबको अन्दर ले लो यह लोग हमारे परिचित हैं। याची द्वारा उत्तराखण्ड में बिना आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट के प्रवेश न देने पर वह बहसबाजी करने लगा और शिकायत करने की धमकी देते हुये यू0पी0 की ओर चले गये। उसके बाद डिप्रेशन क कारण याची के सर में पुनः दर्द होने लगा था तो याची ने दवाई खाई। दिनांक 06.07.2021 एडिशनल एस0पी0 महोदय बार्डर पर आये याची का मुॅह सूंघने लगे और कहने लगे कि तुमने शराब पी हैं याची ने कहा कि आप मेरा मेंडिकल करा लो मैंने दवाई खा रखी है। शराब नहीं पी है अधिकारीगण द्वारा याची को उ0नि0 श्री पदीप भट्ट व एस0ओ0 साहब के हमराह कॉन्स0 276 कमल पाल के साथ मेडिकल के लिये थाने की गाड़ी भेज दिया और रात्रि 01:35 बजे पर जिला

चिकित्सालय पर मेरा मेडिकल परीक्षण किया गया और मेडिकल परीक्षण में याची की पल्स रक्तचाप आदि सामान्य पाये गये कोविड के कारण कोविड–19 से बचने के लिये मार्क्स ग्लब्स आदि पर सैनिटाईजर छिड़ककर वस्त्रों को भी सैनिटाईज किया था और याची द्वारा डिप्रेशन की दवाई भी ली गई थी डॉक्टर के द्वारा एल्कोहल की स्मैल आना लिख दिया जब याची ने डॉक्टर साहब से कहा कि एल्कोहल की स्मैल तो सैनिटाईजर से भी आ रही होगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ सकती है। मैंने आपको नशे में होना नहीं लिखा है। विपक्षी सं0–3 ने उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर को सौंपी गयी। श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने अपनी प्रारम्भिक जॉच आख्या पी0ई0–03/2021 दि0 17 दिसम्बर, 2021 में बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये, बिना स्वतंत्र गवाहों तथा साक्ष्यों के याची को ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतना परिलक्षित करने वाले कार्य का दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। इस जॉच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जॉच आख्या के 7 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता का परिचायक कार्य करने का आरोप लगाते हुये विपक्षी सं0–3 ने कारण बताओं नोटिस संख्या न–97/2021 दिनांक 23.03.2023 याची की वर्ष 2023 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। नोटिस के साथ पूर्ण जॉच आख्या के स्थान पर जॉच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जॉच आख्या के 7 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। उक्त

नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0–3 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्को को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2023 मे ंचरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–97/2021 दिनांक 18.01.2024 पारित कर दिया। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विपक्षी सं0–02 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांक सीओके–अपील–25/2024 दिनांकित 13 नवम्बर 2024 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याचिकाकर्ता को 28.11.2024 को प्राप्त कराया गया। आलोच्य आदेशों का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर जनता के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो निम्न तथ्यों से स्वतः प्रमाणित है :–

अ. याची ने पूर्ण कर्मठता व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और कोई अवैध कार्य नहीं किया है।

ब. दिनांक 05.07.2021 को याची के पिता जी को अल्ट्रासाउण्ड व ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था जिस कारण याची डिप्रेशन में आ गया था और याची द्वारा चामुण्डा चिकित्सालय में करीब 3:00–3:30 बजे अपना चैकअप कराया गया था। डॉक्टर द्वारा याची को डिप्रेशन की दवा दी गई थी और आराम करने को कहा था याची द्वारा थाना कार्यालय में इस बात को बताया गया था। लेकिन उन्होंने एस0ओ0 साहब से

मिलने को कहा लेकिन एस0ओ0 साहब नहीं मिल पाये मुझे थाने से 19:38 बजे कान्स0 392 योगेश चौधरी के साथ लोहिया पुल बॉर्डर पर कोविड–19 के नियमों के अनुपालन हेतु बाहर राज्य से आने वाले व्यक्तियों की चैकिंग के लिये भेजा गया था।

स. याची के सर में काफी दर्द था फिर भी वह आदेश के अनुपालन में कोविड–19 के तहत बॉर्डर चैकिंग हेतु लोहिया पुल पहुँचा वहाँ पर दो एस0पी0ओ0 तथा दो पी0आर0डी0 के जवान भी थे याची व अन्य अधिकारियों ने चैकिंग के दौरान करीब आठ–दस लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन व बिना आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट रिपोर्ट के उत्तराखण्ड में प्रवेश करने से रोका कि तभी एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि इन सबको अन्दर ले लो यह लोग हमारे परिचित हैं। याची द्वारा उत्तराखण्ड में बिना आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट के प्रवेश न देने पर वह बहसबाजी करने लगा और शिकायत करने की धमकी देते हुये यू0पी0 की ओर चले गये।

द. उक्त घटना के बाद डिप्रेशन के कारण याची क सर में पुनः दर्द होने लगा था तो याची ने दवाई खाई।

य. दिनांक 5 व 06.07.2021 की रात्रि में श्रीमान् एडिशनल एस0पी0 महोदय बॉर्डर पर आये याची का मुँह सूँघने लगे और कहने लगे कि तुमने शराब पी है। याची ने कहा कि आप मेरा मेडिकल करा लें मैंने दवाई खा रखी है, शराब

नहीं पी है। अधिकारीगण द्वारा याची को उ0नि0 श्री प्रदीप भट्‌ट व एस0ओ0 साहब के हमराह कान्स0 276 कमल पाल के साथ मेडिकल के लिए थाने की गाड़ी से भेज दिया और रात्रि 01:35 बजे पर जिला चिकित्सालय पर मेरा मेडिकल परीक्षण किया गया और मेडिकल परीक्षण में याची की पल्स रक्तचाप आदि सामान्य पाये गये कोविड के कारण कोविड–19 से बचने के लिये मार्क्स ग्लव्स आदि पर सैनिटाईजर छिड़क कर वस्त्रों को भी सैनिटाईज किया था और याची द्वारा डिप्रेशन की दवाई भी ली गई थी डॉक्टर के द्वारा एल्कोहल की स्मैल आना लिख दिया जब याची ने डॉक्टर साहब से कहा कि एल्कोहल की स्मैल तो सैनिटाईजर से भी आ रही होगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ सकती है। मैंने आपको नशे में होना नहीं लिखा है।

र. याची ने न तो ड्यूटी के दौरान या सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन ही किया है और न ही उसने किसी भो व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता की है।

ल. याची की पूर्ण मेडिकल जॉच नहीं करायी गयी है। यदि नियमानुसार उसके खून तथा पेशाब की जॉच करायी जाती तो प्रमाणित हो जाता कि याची ने न तो शराब का सेवन किया था। बिना पूर्ण मेडिकल जॉच के शराब का सेवन करना प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

व. मेडिकल करने वाले चिकित्सक ने भी याची को नशे की हालत में न होना ही प्रमाणित किया है। चिकित्सक ने केवल एल्कोहल की मुॅह से गॅध आना ही लिखा है। कोविड कॉल में जॉच ड्यूटी पर बार–बार सैनिटाईजर का प्रयोग करने तथा डिप्रेशन की दवाई खाने से भी एल्कोहल की स्मैल मुॅह से आ सकती है। मुॅह से एल्कोहल की गॅध आने का निष्कर्ष शराब पीना नहीं माना जा सकता है।

श. याची ने कोई सेवा कदाचार नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली–2002 के नियम में शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है। केवल सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने तथा नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित रहने पर ही रोक है।

ष. याची के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति ने अभद्रता किये जाने की सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पालन करते हुये कोई शिकायत नहीं की है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 690/XXX(2)/2010 दिनांक 23.06.2010 के अनुसार शिकायत पर कार्यवाही से पूर्व शिकायतकर्ता से शिकायत के समर्थन में साक्ष्य व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

स. जॉच अधिकारी ने याची के बयान, चिकित्सक के मेडिकल प्रमाण–पत्र के याची के नशे की हालत में नहीं होने के

निष्कर्ष को बिना किसी कारण को लिखित किये नहीं माना है।

ह. जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि मेडिकल करने वाले चिकित्सक ने भी याची को नशे की हालत में न होना ही प्रमाणित किया है। चिकित्सक ने केवल एल्कोहल की मुॅह से गंध आना ही लिखा है। कोविड कॉल में जॉच ड्यूटी पर बार–बार सैनिटाईजर का प्रयोग करने तथा डिप्रेशन की दवाई खाने से भी एल्कोहल की स्मैल मुॅह से आ सकती है। मुॅह से एल्कोहल की गंध आने का निष्कर्ष शराब पीना नहीं माना जा सकता है।

क्ष. जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि याची के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति ने अभद्रता किये जाने की सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पालन करते हुये कोई शिकायत नहीं की है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 690/XXX(2)/2010 दिनांक 23.06.2010 के अनुसार शिकायत पर कार्यवाही से पूर्व शिकायतकर्ता से शिकायत के समर्थन में साक्ष्य व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

त्र. अपील आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी सं0 2 ने याची की अपील में दिये कये आधारों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा निष्पक्ष व विधिसम्मत् रूप से विचार नहीं किया गया है।

आलोच्य आदेशों को सही मानन का इससे सम्बद्ध कोई विधिसम्मत् आधार व कारण नहीं दिया गया है।

झ. आलोच्य (impugned) दण्डादेश व अपील आदेश विधि विरूद्ध, निराधार, गलत तथ्यों पर आधारित है तथा निरस्त होने योग्य है।

आ. आलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दंड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की प्रकिया के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम–1861 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 86 (1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 87 (1) के अन्तर्गत इस विषय से सम्बन्धी कोई नियम या विनियम वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दंड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित होने की कोई सूचना नहीं है इसलिये भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड

में लागू नहीं है। इसलिये उक्त विभागीय कार्यवाही अवैध तथा नियम विरूद्ध है तथा केवल इस आधार पर ही उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

बा. माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कान्स0 65 अनोखे लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य (रिट पिटीशन संख्या 1154 सन् 2005 (एस/एस) में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की (दंड एवं अपील) नियमावली–1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के परिनिन्दा के दण्ड वाले नियम 4 (1) (b) (iv) को अवैध (ultra virus) घोषित कर दिया है। इसलिये भी परिनिन्दा लेख अंकित करने का दण्ड देने वाला उक्त आदेश अवैध है व निरस्त होने योग्य है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार हैः–

3.1. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.3 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जब यह वर्ष 2021 में जब याचिकाकर्ता आरक्षी 286 ना0पु0 श्री विजय पाल, थाना आई0टी0आई0, उधमसिंह नगर में नियुक्त था, तो दिनांक 05.07.2021 को रात्रि 20.00 बजे से इनकी बॉर्डर पिकट ड्यूटी लोहिया पुल बैरियर पर लगायी गयी थी। परन्तु इनके द्वारा शराब का सेवन कर ड्यूटी प्वाइंट पर जनता के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके फलस्वरूप इनका राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने पर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में इनके द्वारा

शराब को सेवन किये जाने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर जनता के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना तथा जनता में पुलिस की छवि धूमिल करना अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही है। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आरक्षी 286 ना0पु0 विजयपाल को शपथकर्ता कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.03.2023 के द्वारा उत्तराखण्ड [उ0 प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की (दंड एवं अपील) नियमावली–1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) एवं उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की 23 (2) (ख) के अनुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसकी एक प्रति कान्स0 24.04.2023 को प्राप्त कर नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 10.05.2023 को उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेखों एवं याची कान्स0 द्वारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण का गहनता एवं गम्भीरता से अध्ययन किया गया याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्यतः अंकित किया है कि प्रकरण जनता के व्यक्तियों के चैकिंग के दौरान हुए विवाद से प्रारम्भ हुआ है क्योंकि याची के द्वारा जनता के व्यक्ति जो बिना आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट व बिना अनुमति के उत्तराखण्ड में प्रवेश करना चाह रहे थे को प्रवेश नहीं करने दिया तथा उन्हें रोकने के लिए वापस यू0पी0 की तरफ भेजा, जिनके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत की गयी थी। प्रकरण में कोई भी मेडिकल ब्लड टेस्ट और यूरिन की जांच नहीं करायी गयी। प्रकरण की जॉच/तथ्यों एवं याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह प्रकाश में आया कि दिनांक 05.07.2021 की रात्रि में कान्स0 द्वारा शराब का सेवन कर ड्यूटी प्वाइंट पर जनता के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके फलस्वरूप इनका राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने पर स्वास्थ्य परीक्षण

रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा A smell of Alcohol like substance coming from nostril and mouth- After blood sample report & Above person consumed alcohol but not intoxicated अंकित किया गया है। कान्स0 विजय पाल द्वारा शराब का सेवन किये जाने व जनता के लोगों के साथ अभद्रता किये जाने की पुष्टि कान्स0 के साथ ड्यूटीरत कान्स0 योगेश चौधरी के बयानों तथा रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रदीप भट्ट एवं थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 के बयानों तथा उपरोक्त मेडिकल रिपोट से पायी गयी। इस प्रकार प्रकरण की जांच में कान्स0 286 ना0पु0 विजय पाल द्वारा दिनांक 05. 07.2021 को रात्रि लोहिया पुल बैरियर पिकेट ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर स्थानीय व्यक्तियों से अभद्रता किया जाना पाया गया है, जो कि कान्स0 द्वारा ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये कान्स0 को अपने बचाव व सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत् एवं नियमानुकूल है। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं पाया गया, अतः सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त आरक्षी 286 ना0पु0 विजयपाल को कारण बताओं नोटिस में प्रस्तावित दण्ड अर्थात् उत्तराखण्ड [उ0 प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की (दंड एवं अपील) नियमावली–1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) एवं उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (ख) में उल्लिखित दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3.2. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.5 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर से सम्पादित करायी गयी जिसके द्वारा अपनी सुस्पष्ट जांच आख्या–पी0ई0–03/2021 दिनांकः 17.12.2021 में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार कथनों को अंकित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त अपना निष्कर्ष अंकित किया गया। प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलिखित कथनों एवं अभिलेखों की सॅन्निरीक्षा से पाया गया कि थाना आई0टी0आई0 में नियुक्त कानि0 286 ना0पु0 विजयपाल द्वारा दिनांक 05.07.2021 की रात्रि थाना आईटीआई क्षेत्रान्तर्गत लोहिया पुल बैरियर के दौरान शराब का सेवन कर जनता के व्यक्तियों से अभद्रता किये जाने तथा ड्यूटी के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी को प्रारम्भिक जॉच अभिदिष्ट की गई प्रकरण की जांच के दौरान कानि0 286 ना0पु0 विजयपाल ने कथन किया कि थाना आई0टी0आई0 में नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा दिनांक 27.06.2021 को अपने पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश का प्रार्थना–पत्र दिया गया था जो थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा अग्रसारित नहीं किया गया जिस कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। दिनांक 05.07.2021 को उसकी ड्यूटी सांयकालीन वाहन चेकिंग उ0नि0 श्री राकेश कठैत व म0उ0नि0 नीलम मेहता के साथ थाना गेट पर थी जो करीब 7:30 बजे तक चली। उसी दिन उक्त कानि0 के पिता को अल्टासाउण्ड करने के बाद घरवालों द्वारा आपरेशन हेतु भर्ती कराया गया जिस कारण कानि0 विजय पाल द्वारा स्वयं का डिप्रेशन में होना तथा स्वयं का चामुण्डा अस्पताल काशीपुर में चैकअप कराने पर डॉक्टर द्वारा आराम करने की सलाह देना बताया गया। उक्त तिथि को रात्रि को स्वयं की कानि0

392 ना0नु0 योगेश चौधरी के साथ कोविड–19 के दृष्टिगत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों/व्यक्तियों को बिना अनुमति/आर0टी0पी0सी0आर0 रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश न करने देने विषयक ड्यूटी लोहिया पुल बैरियर पर होना जहॉ पर करीब 10:30–11:00 बजे एक व्यक्ति द्वारा 8–10 व्यक्तियों को बिना रजिस्टशन व आरटीपीसीआर के प्रवेश कराने को लेकर बहस करना व उच्चाधिकारियों को शिकायत करने की धमकी देकर जाने पर स्वयं द्वारा उक्त सम्बन्ध में समय करीब 00:22 बजे थानाध्यक्ष आईटीआई को अवगत कराकर डिप्रेशन की दवा लेकर आराम करने थाना आना बताया गया। जिसके उपरान्त समय करीब 00:34 बजे थानाध्यक्ष आईटीआई द्वारा जरिये फोन कानि0 विजय पाल को लोहिया पुल बॉर्डर आने को कहा तथा मौके पर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर के आने उनके द्वारा कानि0 विजय पाल व कानि0 योगेश चौधरी को उ0नि0 प्रदीप भट्ट व कानि0 कमल पाल मय सरकारी वाहन के सरकारी अस्पताल मेडिकल हेतु भेज दिया गया। कानि0 विजय पाल के कथनानुसार मेडिकल परीक्षण के दौरान उसके द्वारा खुद के शरीर पर कोविड–19 के चलते सैनिटाईजर छिड़कने तथा डिप्रेशन की दवा खाने से एल्कोहल की स्मैल आने पर चिकित्सक द्वारा मेडिकल में एल्कोहल की स्मैल आना लिखना बताया। प्रश्नोत्तर में शराब को सेवन न करना तथा बैरियर पर ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा बिना आरटीपीसीआर उत्तराखण्ड में प्रवेश करने को लेकर शिकायत करना बताया। उक्त सम्बन्ध में कानि0 392 ना0पु0 योगेश चौधरी के कथनानुसार दिनांक 05–07–2021 को उसकी तथा कानि0 286 ना0पु0 विजयपाल सिंह की ड्यूटी सांय 20:00 बजे से दिनांक 06–07–2021 को प्रातः 08:00 बजे तक कोविड–19 बैरियर लोहिया पुल पर ड्यूटी थी। उक्त पिकेट पर दोनों कर्मियों द्वारा बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों/वाहनों को रोककर उनकी अनुमति एवं आर0टी0पी0सी0आर0 रिपोर्ट

चैक किया जाना था, जो कि दोनों द्वारा किया जा रहा था। रात्रि करीब 09:30 के आस–पास कुछ व्यक्ति लोहिया पुल बैरियर पर आये, जिन्हे स्वयं द्वारा न जानना परन्तु कानि0 विजय पाल द्वारा शायद पूर्व से जानने के कारण कानि0 विजय पाल उनसे साईड में बात करना तथा कुछ देर बाद दोनों के मध्य बहस होने पर कानि0 विजय पाल द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, बताया गया। जिसके उपरान्त दोनों पक्षों में अधिक बहसबाजी होने पर स्वयं द्वारा बीच–बचाव किया जाना व उक्त लोगों द्वारा उच्चाधिकारीगण को शिकायत करने की बात कहते हुए वहॉ से चले जाना बताया गया। कानि0 योगेश चौधरी द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में थाने पर नियुक्त हमराह कानि0 के माध्यम से रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रदीप भट्ट को सूचित किया गया। जिसके उपरान्त मौके पर उ0नि0 प्रदीप भट्ट तथा कुछ समय बाद थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 व पुलिस अधीक्षक, काशीपुर भी आ गये जिनके द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में दोनों से पूछताछ करने के उपरान्त दोनों को राजकीय चिकित्सालय काशीपुर मेडिकल के लिये भेज दिया। प्रश्नोत्तर में कानि0 विजय पाल द्वारा वहॉ ड्यूटी पर शराब न पीना परन्तु पहले से पिया होना बताते हुए जिन लोगों के साथ कानि0 विजय पाल का झगड़ा हुआ उनको स्वयं न जानना परन्तु कानि0 विजय पाल के पूर्व परिचित होना बताते हुए किसी सामान को मंगाने को लेकर विवाद होना बताया गया। जॉच के दौरान उ0नि0 प्रदीप भट्ट, थाना आई0टी0आई0 के कथनानुसार दिनांक 05–07–2021 की रात्रि को उ0नि0 की थाना आईटीआई में रात्रि अधिकारी ड्यूटी पर नियुक्त तथा रात्रि में थाने से चैकिंग एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रवाना थे तो थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा जरिये फोन कानि0 विजय पाल सिंह द्वारा लोहिया पुल बॉर्डर पर शराब के नशे में जनता के लोगों के साथ अभद्रता करने की

सूचना दी गयी। जिस पर वह मय सरकारी वाहन तथा हमराह कानि0 के मौके पर गये तो वहॉ पर कानि0 विजय पाल सिंह तथा कानि0 योगेश चौधरी मौजूद मिले परन्तु जनता का कोई व्यक्ति तत्समय मौजूद नहीं था। कानि0 विजयपाल तत्समय नशे में प्रतीत हो रहा था। कुछ ही समय उपरान्त मौके पर थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 तथा पुलिस अधीक्षक, काशीपुर भी आ गये। जिनके द्वारा उ0नि0 प्रदीप भट्ट के साथ उक्त दोनों कानि0 को मेडिकल परीक्षण हेतु एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर भेजा गया। जहॉ मेडिकल के दौरान कानि0 विजय पाल सिंह द्वारा शराब पिये जाने की पुष्टि हुई। उक्त सम्बन्धी रिपोर्ट स्वयं द्वारा थाना कार्यालय में दाखिल किया जाना बताया गया। उक्त सम्बन्ध में श्री विद्यादत्त जोशी, थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा उ0नि0 प्रदीप भट्ट के कथनों का समर्थन करते हुए बताया गया कि दिनांक 06.07.2021 को रात्रि में वह हमराही उप–निरीक्षक कपिल कम्बोज के मय निजी वाहन थाना क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी में रवाना थे तो उसी दौरान पुलिस अधीक्षक, काशीपुर द्वारा उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से लोहिया पुल ड्यूटी पर कानि0 विजयपाल व कानि0 योगेश चौधरी द्वारा शराब के नशे में अभद्रता किये जाने सम्बन्धी प्राप्त शिकायत का हवाला देकर मौके पर जाने हेतु आदेशित करते हुए स्वयं भी मौके पर आने की बात कही गयी, जिस पर थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा मौके पर पहुॅचने पर पाया कि थाने पर तैनात कानि0 286 विजय पाल एवं कानि0 392 ना0पु0 योगेश चौधरी जिनकी ड्यूटी दिनांक 05.07.2021 की रात्रि 20:00 बजे से दिनांक 06.07.2021 की प्रातः 08:00 बजे तक बॉर्डर पिकेट ड्यूटी थाना क्षेत्र के लोहिया पुल बैरियर पर लगायी गयी थी तथा दोनों कानि0 मौके पर मौजूद थे। मौके पर अन्य कोई स्थानीय व्यक्ति मौजूद नहीं था। मौके पर कानि0 286 विजय पाल द्वारा शराब का सेवन किया जाना

व नशे में होना प्रतीत हो रहा था। कुछ देर बाद वहां पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर भी प्राईवेट वाहन से पहुॅच गये जिनके आदेश पर बैरियर ड्यूटी पर तैनात उक्त दोनों कानि0 का एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में कानि0 विजय पाल की शराब सेवन की पुष्टि हुई तथा कानि0 392 योगेश चौधरी की शराब सेवन करने की पुष्टि नहीं हुई। उक्त सम्पूर्ण घटनाकम की सूचना स्वयं द्वारा उच्चाधिकारीगण को दिया जाना बताते हुए शिकायतकर्ता के सम्बन्ध में स्वयं को कोई जानकारी न होना बताया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच के दौरान कानि0 286 ना0पु0 विजय पाल द्वारा अपने पिता जी श्री सुन्दर सिंह द्वारा सत्यम क्लीनिक, चौती चौराहा, काशीपुर में दिनांक 06–06–2021 एवं 16–06–2021 को तथा उजाला अस्पताल काशीपुर में 28–06–2021 से 08–07–2021 तक उपचार कराये जाने सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कानि0 विजयपाल के पिता के अस्वस्थ होने तथा उपचाराधीन होने की पुष्टि होती है। उक्त कानि0 द्वारा उक्त कारण से दिनांक 07–07–2021 से 07 दिवस आकस्मिक अवकाश हेतु अवकाश प्रार्थना–पत्र भी प्रेषित किया गया जिसमें मेरे द्वारा थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 की संस्तुति के उपरान्त दिनांक 07–07–2021 से 06 दिवस आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही कानि0 विजय पाल द्वारा स्वयं के उपचार सम्बन्धी एक प्रपत्र चामुण्डा सर्जिकल एवं लैप्रोस्कोपिक सेन्टर, रामनगर रोड, काशीपुर का उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन से कानि0 विजय पाल को पेट दर्द एवं अन्य परेशानियों के दृष्टिगत पेट का अल्टासाउण्ड कराने की सलाह अंकित करते हुए चिकित्सक द्वारा पर्चे पर "शराब न पिये" (चेतावनी) अंकित किया गया है। जिसके उपरान्त भी दिनांक 05–07–2021 की ही रात्रि में ही उक्त कानि0 द्वारा पुनः

शराब का सेवन कर ड्यूटी प्वांइट पर जनता के लोगों के साथ अभद्र व्यहार किया गया, जिस कारण उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा कानि0 विजय पाल के मेडिकल परीक्षण कराये जाने पर मेडिकल परीक्षण में भी चिकित्सक द्वारा Above Person consumed Alcohol but not intoxicated- (A smell of Alcohol like substance coming from nostril and mouth) अंकित किया गया है। अतः कानि0 विजय पाल द्वारा शराब के सेवन किये जान व जनता के लोगों के साथ अभद्रता किये जाने की पुष्टि उक्त कानि0 के साथ ड्यूटीरत् कानि0 योगेश चौधरी के बयानों तथा रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रदीप भट्ट एवं थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 के बयानों तथा उक्त मेडिकल रिपोर्ट से होती है। जॉच के दौरान मेरे द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, काशीपुर से मौखिक/दूरभाष वार्ता करने पर उनके द्वारा भी उक्त दिवस कानि0 विजय पाल सिंह द्वारा शराब का सेवन कर जनता के व्यक्तियों के साथ अभद्रता करने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं मौके पर जाना तथा उक्त कानि0 शराब के नशे में प्रतीत होने के कारण दोनों कानि0 का मेडिकल परीक्षण कराया जाना व कानि0 विजय पाल द्वारा शराब पिये जाने की पुष्टि होने पर थानाध्यक्ष आई0टी0आई0 द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रेषित रिपोर्ट के आधार द्वारा स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर को आख्या प्रेषित करना बताया गया है। प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच के दौरान पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा अंकित कराये गये कथनों तथा उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से थाना आई0टी0आई0 में नियुक्त कानि0 286 ना0पु0 विजयपाल द्वारा दिनांक 05–07–2021 की रात्रि लोहिया पुल बैरियर पिकेट ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर स्थानीय व्यक्तियों से अभद्रता

किया जाना पाया गया है, जो कि उक्त कानि0 द्वारा ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतना परिलक्षित करता है।

3.3. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.8 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में विभागीय अधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए आरक्षी 286 ना0पु0 विजयपाल सिंह को अपने बचाव व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत् एवं नियमानुकूल है। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार किया गया है। अतः सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (ख) एवं उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) की विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डादेश संख्याः न–97/2021 दिनांक 18.01.2024 परिनिन्दा प्रविष्टि याचिकाकर्ता आरक्षी 286, ना0पु0 विजय पाल सिंह, की चरित्र पंजिका में अंकित की गयी है।

3.4. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.10 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची द्वारा दण्डादेश संख्याः न–97/2021 दिनांकः 18.01.2024 के विरूद्ध पुलिस उप–निरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष अपील पर विवकेपूर्ण ढग से निर्णय लेते हुए पुलिस उप–निरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा अपने आदेश संख्याः

सीओके–अपील–25/2024 दिनांक 13.11.2024 के द्वारा अपील को बलहीन पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया।

3.5. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.13 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार किया गया। सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (ख) एवं उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) की विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित परिनिन्दा प्रविष्टि आरक्षी 286, ना0पु0 विजय पाल सिंह, की चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

3.6. यह कि प्रतिवाद पत्र के उपरोक्त कथनों के आधार पर याची की याचिका सव्यय अस्वीकार होने योग्य है। मा0 न्यायाधिकरण से प्रार्थना है, कि याचिकाकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है। अतः मा0 न्यायाधिकरण से अनुरोध है, कि उक्त याचिका को शासन/विभाग के पक्ष में खारिज/निरस्त करने का कष्ट करें।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये

कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बल देते हुये कहा गया कि घटना के दिनांक 05.07.2021 को याची की तैनाती लोहिया पुल पर थी, जहॉ पर उसे तत्कालीन कोविड महामारी के दृष्टिगत आने–जाने वाले व्यक्तियों को रोककर आवश्यक पूछताछ करनी थी। स्वाभाविक रूप से यह एक ऐसा कार्य था जिससे प्रभावित व्यक्तियों का कोधित होना एक नैसर्गिक परिणाम था। घटना वाले दिनांक को कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा याची द्वारा की जा रही पूछताछ से आकोशित होकर यह झूठी शिकायत की गयी कि याची मदिरा सेवन के प्रभाव में आने–जाने वाले व्यक्तियों से दुव्यर्वहार कर रहा था। याची के कथनानुसार याची के सहयोगी कानि0 योगेश ने भी मदिरा सेवन किया हुआ था, किन्तु उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियें द्वारा आरोप–पत्र नहीं दिया गया। प्रकरण में की गयी प्रारम्भिक जॉच में थानाध्यक्ष के बयान से यह स्पष्ट है कि याची ने मदिरा सेवन तो किया था, किन्तु वह नशे में नहीं था।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने बल देते हुये कहा कि उत्तराखण्ड राज्य मे संशोधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 4 ए के अनुसार किसी भी राजकीय कर्मचारी को मदिरा सेवन निषिद्ध नहीं किया गया है, किन्तु शर्त यह है कि उक्त कर्मचारी राजकीय कार्य के दौरान नशे की हालत में न हो।

8. विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी बहस प्रतिउत्त्तर/में उल्लिखित बिन्दुओं पर बल दिया गया एवं कहा गया कि याची द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार शिकायतकर्तागण के प्रति किया गया वह यहीं प्रदर्शित करता है कि याची मदिरा सेवन के प्रभाव में नशे में था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि मदिरा सेवन की घटना, चिकित्सकीय परीक्षण एवं प्रयोगशाला में उसके रक्त के नमूने की जॉच किये जाने के मध्य एक लम्बा अन्तराल होता है जिसके कारण नैसर्गिक रूप से कर्मचारी के रक्त नमूने में अल्कोहल की मात्रा अत्यन्त न्यून हो जाती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी चिकित्सकीय जॉच परिणाम के प्रकाश में प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के बयानों को नगण्य मान लिया जायें। यहॉ तक कि स्वयं याची द्वारा प्रकारान्तर में स्वीकार किया गया है कि उसने मदिरा सेवन किया था। 'कारण बताओ नोटिस' दिनांक 23.03.2023 के उत्तर दिनांक 10. 05.2023 के पृष्ठ–4, प्रस्तर–9 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची न मदिरा सेवन किया हुआ था।

9. प्रस्तुत याचिका की पत्रावली पर प्रस्तुत जॉच आख्यायें, बयानात एवं C.A/W.S मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि को गहराई से समीक्षा किये जाने पर यह स्पष्ट है कि याची प्रश्नगत घटना के समय मदिरा सेवन के कारण नशे की हालत में था एवं उसका व्यवहार आवागमन करने वाले यात्रियों, पर्यटकों एवं शिकायकतकर्तागण के प्रति अभद्र एवं अमर्यादित था जिसका मूल कारण याची का नश में होना था। प्रस्तुत प्रकरण में संशोधित नियम 4 ए याची को किसी भी प्रकार का बचाव उपलब्ध नहीं कराता है, अतः याची के सम्बन्ध में की गयी विभागीय जॉच एवं दण्ड इत्यादि पूर्णतयाः विधिसंगत है एवं तद्विषयक याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार, याची की याचिका एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2025
नैनीताल।

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)